राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल संशोधन याचिका सं. 177/2013

पुष्पा देवी पत्नी छगनलाल जी, आयु 56 वर्ष , जाति सनध्या, निवासी- लांबी गली, नाथद्वारा जिला राजसमंद।

----याचिकाकर्ता

बनाम

चंद्रशेखर @ कालू पुत्र नटवरलाल जी, 42 वर्ष आयु, जाति सनध्या, निवासी- लांबी गली नाथद्वारा जिला राजसमंद।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री हेमंत बल्लानी

प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री डी. के. गौर

माननीय सुश्री न्यायाधीश रेखा बोराना

आदेश

रिपोर्ट करने योग्य

04/01/2024

1. वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को सिविल मुकदमा संख्या 24/07 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा पारित दिनांक 19.07.2013 के आदेश के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है, जिसके तहत मुद्दा संख्या 3 को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करते समय, नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने निर्णय दिया कि विचाराधीन मुकदमे को न्यायिक प्रक्रिया द्वारा बाधित नहीं किया जाएगा।

2. मामले के तथ्य यह हैं कि चंद्रशेखर नामक व्यक्ति ने प्रतिवादी पुष्पा देवी के खिलाफ घोषणा, कब्जा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। मुद्दा संख्या 3 जैसा कि उक्त मुकदमे में लिखा गया थाः

"आया यह वाद धारा 11 सीपीसी तथा आदेश 2 नियम 2 सीपीसी

के प्रावधानों के अनुसार बाधित होकर पोषणीय नहीं है ?"

3. न्यायालय ने वादी के पक्ष में दिनांक 19.07.2013 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से मुद्दा संख्या 3 को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय करने के लिए आगे बढ़े और कहा कि मुकदमे को खंड 11 और आदेश 2 नियम 2, सी. पी. सी. के संदर्भ में वर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी का मामला यह था कि वर्तमान वादी चंद्रशेखर ने श्याम लाल से संपत्ति खरीदी थी। इससे पहले, श्याम लाल द्वारा वर्ष 2004 में वर्तमान याचिकाकर्ता-प्रतिवादी पुष्पा देवी के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया गया था। उक्त मुकदमा में, मुद्दा संख्या 1 निम्नानुसार तैयार किया गया थाः

"(1) आया वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित पड़ौसों के नाप का भूखण्ड वादी के स्वामित्व व आधिपत्य का है?"

06.11.2006 के फैसले और डिक्री के माध्यम से, श्याम लाल द्वारा प्रस्तुत किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा संख्या 1 का फैसला किया गया। न्यायालय ने उसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

> **"वादी के वाद को साबित करने का भार वादी पर था परन्तु उसने विवादग्रस्त सम्पत्ति पर अपनी मौरूसी जायदाद होकर बंटवारे में अपने हिस्से में आने बाबत् कोई लिखापढ़ी या अन्य साक्ष्य पेश नहीं की है। न ही अपने पूर्वजों का शजरा ही वादी ने अपने वाद पत्र में पेश किया है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि किस प्रकार विवादित सम्पत्ति वादी के हिस्से में आई है। विवादित सम्पति के आधिपत्य बाबत् वादी ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। स्वयं वादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि उसके पास इस मकान बाबत् कोई रसीद नहीं है जो कभी जमा कराई हो। जहां तक चौक व लेट्रीन वादी व प्रतिवादीगण के शामलाती होने का प्रश्न है, इस संबंध में भी वादी के तथ्यों का खण्डन करते हुये प्रतिवादीगण ने अपनी निजी स्वामित्व व आधिपत्य के होना बताया है। वादी ने उक्त चौक व लेट्रीन के शामलाती होने बाबत् कोई लिखापढ़ी न्यायालय में पेश नहीं की है। जबकि प्रतिपरीक्षा में उसने यह स्वीकार किया है**

कि बंटवारे की लिखापढ़ी नर्बदाबाई के पास है जिससे उसका व्यवहार अच्छा है परन्तु आगे यह स्वीकार किया है कि मैं उससे लिखापढ़ी ला सकता हूं परन्तु वादी ने कोई लिखापढ़ी लाकर पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में जबकि वादी ने लिखापढ़ी नर्बदाबाई के पास होना व उससे अपने अच्छा व्यवहार होना बताया है परन्तु लिखापढ़ी लाकर पेश नहीं की है जिससे कि यह स्पष्ट हो सके कि विवादित चौक व लेट्रीन शामलाती है एवं विवादग्रस्त जायदाद वादी को बंटवारे में प्राप्त हुई है। ऐसी स्थिति में वादी उक्त दोनों विवाद्यक उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपने हक में साबित करने में असफल रहा है। अतः विवाद्यक सं. 1 व 2 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।"

5. प्रतिवादी का मामला यह था कि पहले के मुकदमे में, निर्धारण के वही बिंदु विचाराधीन थे और मुद्दा काफी हद तक वही था। मुद्दा संख्या 1 जिसमें वादी के स्वामित्व और कब्जे का तथ्य विचाराधीन था, विशेष रूप से वादी के खिलाफ निर्णय लिया गया था। इसका मतलब है कि वादी के खिलाफ स्वामित्व के मुद्दे का फैसला किया गया था और वर्तमान वादी चंद्रशेखर, जिन्होंने पहले अभियोक्ता के स्थान पर कदम रखा था, निश्चित रूप से उक्त निष्कर्ष से बाध्य होंगे।

6. निचली अदालत ने वादी के खिलाफ वर्तमान मुद्दा संख्या 3 का फैसला करते हुए कहा कि पहले के मुकदमे में स्वामित्व का सवाल खुला छोड़ दिया गया था और इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि इस मुद्दे पर अंततः निर्णय और निर्धारण किया गया था।

उपरोक्त निष्कर्ष के साथ, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा को न्यायपालिका द्वारा वर्जित नहीं किया जाना चाहिए।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि नीचे दिए गए न्यायालय का निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है क्योंकि पहले के मुकदमे में इस मुद्दे को अनिर्णीत नहीं छोड़ा गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पहले के मुकदमे में निष्कर्ष के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह स्वामित्व और कब्जे के मुद्दे पर एक अंतिम निर्णय/निर्धारण था। यह कहीं भी न्यायालय की टिप्पणी नहीं थी कि मुद्दा जीवंत रहेगा।विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि हालांकि पहले निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा था, क्योंकि एक विशिष्ट मुद्दा स्वामित्व और

कब्जा भी उसी में तैयार किया गया था, जिस पर प्रतिवादी द्वारा आपत्ति नहीं की गई थी और आगे, इस मुद्दे को अंततः निर्णीत किया गया और निर्धारित किया गया था, जिस पर वादी द्वारा आगे कोई कार्यवाही नहीं की गयी, उक्त मुद्दे को अंततः निर्णीत माना जाएगा और सभी उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया जाएगा। यह नहीं माना जा सकता कि मुद्दा अनिर्णीत रहा।

उनके निवेदन के समर्थन में वकील ने दादू दयालू महासभा, जयपुर (ट्रस्ट) बनाम महंत राम निवास और अन्य (2008) 11 एस. सी. सी. 753 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और एल आर के माध्यम से यजमन गौरैया (मृत) बनाम एल आर के माध्यम से एन. वी. एस. शिवराम (मृत) और अन्य, 2010 (2) सिविल एलजे 3 में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।

8. विद्वान वकील ने आगे कहा कि भले ही यह माना जाता है कि वर्तमान मुकदमा एक नए आधार पर उठाया गया है, लेकिन आदेश 2 नियम 2, सी. पी. सी. के संदर्भ में यह अस्वीकार्य है।

आदेश 2 नियम 2, सी. पी. सी. के संदर्भ में, सभी दावे/आधार जो उठाए जा सकते थे लेकिन नहीं उठाए गए थे, उन्हें त्याग दिया गया माना जाएगा।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पहले का मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए एक सरलीकरणकर्ता था जबकि वर्तमान मुकदमा भी घोषणा के लिए है। इसलिए, विषय वस्तु अलग होने के कारण और आगे, मुकदमे के पक्षकार समान नहीं होने के कारण, न्यायिक निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

10. पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

11. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि वर्तमान वादी चंद्रशेखर ने श्याम लाल से विचाराधीन संपत्ति खरीदी और उनके स्थान पर आ गए। अभिलेख पर यह भी निर्विवाद है कि श्याम लाल ने वर्ष 2004 में वर्तमान प्रतिवादी पुष्पा देवी के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा दायर किया था। यद्यपि उक्त मुकदमा निषेधाज्ञा के लिए था, लेकिन इस आशय का मुद्दा संख्या 1 तैयार किया गया था-"क्या विचाराधीन संपत्ति वादी के स्वामित्व और कब्जे की थी"। उक्त मुद्दे का फैसला वादी श्याम लाल के खिलाफ अदालत ने यह देखते हुए किया कि श्याम लाल ने अपनी जिरह में विशेष रूप से स्वीकार किया कि उनके पास इस

तथ्य को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि विचाराधीन संपत्ति विभाजन के कारण उन्हें विरासत में मिली थी। न्यायालय ने विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि वादी ने संपत्ति पर भी अपने कब्जे को साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज दायर नहीं किया और इसलिए वादी के खिलाफ उक्त मुद्दे का फैसला किया।

12. वर्तमान मुकदमा में तैयार किया गया मुद्दा संख्या 1 निम्नानुसार हैः-

"आया वादग्रस्त भूखंड वादी के स्वामित्व का है ?"

उपरोक्त मुद्दा संख्या 1, जैसा कि वर्तमान मुकदमे में बनाया गया है और मुद्दा संख्या 1, जैसा कि पहले के मुकदमे में बनाया गया है, के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दोनों मुकदमों में मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक समान है। यह कानून का स्थापित सिद्धान्त है कि जब एक ही मुद्दे को बाद के मुकदमे में उन्हीं पक्षों या उनकी निजता के बीच स्वामित्व के आधार पर बाद के मुकदमे में रखा जाता है, तो निषेधाज्ञा मुकदमे में डिक्री समान रूप से न्यायनिर्णायक के रूप में काम करती है।

सुलोचना अम्मा बनाम नारायण नायर (1994) 2 एस. सी. सी. 14 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

"5. सी. पी. सी. की खंड 11 निर्णायकता के नियम को साक्ष्य के रूप में मूर्त रूप देती है या एक दलील के रूप में रोकता है, एक वादपत्र पर आधारित पहले के मुकदमे में विचार किए गए मुद्दे के रूप में जिसमें मामला सीधे और पर्याप्त रूप से विवाद में है और अंतिम हो गया है। समान पक्षों या उनके निजी लोगों के बीच बाद के मुकदमे में सक्षम अदालत में ऐसे बाद के मुकदमे की सुनवाई करने के लिए जिसमें मुद्दा सीधे और पर्याप्त रूप से उठाया गया हो और निर्णय में तय किया गया हो और पूर्व मुकदमे में डिक्री पूर्व न्यायिक के रूप में कार्य करेगी।"

13. इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या निषेधाज्ञा के लिए पहले के मुकदमे में स्वामित्व से संबंधित मुद्दे पर निष्कर्ष घोषणा के लिए बाद के मुकदमे में न्यायनिर्णायक के रूप में काम करेगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनाथुला सुधाकर बनाम एल आर के माध्यम से पी. बुची रेड्डी (मृत) और अन्य (2008) 4 एस. सी. सी. 594 के मामले में विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया कि भले ही निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे में, स्वामित्व के संबंध में एक

विशिष्ट मुकदमा उठाया गया था और एक निष्कर्ष जिसे दर्ज किया गया था, उक्त निर्णय अंतिमता प्राप्त करता है।

14. एल आर के माध्यम से यजमान गौरैया (मृत) बनाम एल आर के माध्यम से एनवीएस शिवराम (मृत) और अन्य, 2010 (2) सिविल एलजे 3 के मामले में कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा भी दोहराया गया है, जिसमें यह माना गया है कि केवल इसलिए कि पहले का मुकदमा केवल स्थायी निषेधाज्ञा की राहत के लिए था, उक्त में दर्ज निष्कर्ष स्वामित्व की घोषणा के लिए बाद के मुकदमे में कार्यवाही को पार्टियों के लिए बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।

15. कानून के उपरोक्त तय किए गए प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की स्पष्ट राय है कि एक बार पहले के मुकदमे में श्याम लाल के खिलाफ स्वामित्व और कब्जे के मुद्दे का फैसला हो जाने के बाद, वर्तमान वादी चंद्रशेखर, श्याम लाल से उक्त संपत्ति का खरीदार होने के नाते, निश्चित रूप से उसी से बाध्य होगा।वर्तमान वादी को पूरी तरह से नया मामला स्थापित करने और पहले के मुकदमे में निष्कर्षों पर अपना स्वामित्व साबित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए, न्यायालय के निष्कर्ष पूरी तरह से कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ होने की पुष्टि नहीं की जा सकती है और इसे उलट दिया जाना चाहिए।

16. उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, मुद्दा संख्या 3 का निर्णय याचिकाकर्ता प्रतिवादी के पक्ष में और वादी के खिलाफ किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विचाराधीन मुकदमा न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है।

17. अतः वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है। सिविल मुकदमा संख्या 24/07 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नाथद्वारा, जिला राजसमंद द्वारा पारित दिनांक 19.07.2013 के आदेश को यहाँ दरकिनार कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप, मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। विद्वत न्यायालय तदनुसार डिक्री तैयार करने का निर्देश देगा।

18. स्थगन याचिका और सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाता है।

(रेखा बोराना), जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।